न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस
प्रकरण संख्या 47/2021 प्रा.प.

उनवान

1. श्रीमती संगीता पत्नि हसमुख महाजन जाति जैन आयु बालिग निवासी राठौडो का गुडा, चिबोडा तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)

–प्रार्थीया

विरूद्ध

1. श्री सज्जनसिंह पिता श्री वगतसिंह राजपुत उम्र बालिग जाति राजपुत निवासी राठौड़ो का गुडा, चिबोडा तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)
2. श्री भोपालसिंह पिता श्री वगतसिंह राजपुत उम्र बालिग जाति राजपुत निवासी राठौडो का गुडा, चिबोडा तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)
3. श्री निर्भयसिंह पिता श्री भव सिंह राजपुत उम्र बालिग जाति राजपुत निवासी राठौडो का गुडा, चिबोडा तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 व धारा 151 जा.दी. एवं
धारा 212 आर.टी.ए एक्ट

–::निर्णय::–

दिनांकः–31/12/24

उपस्थितिः– श्री दिनेश कुमार जैन अधिवक्ता – प्रार्थीया
श्री गेबीलाल मेहता अधिवक्ता–विपक्षी सं. 1, 2, 3

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1, 2 एवं सपठित धारा–151 जा.दी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया एवं सह–खातेदार जो मुलवाद में विपक्षी संख्या 04 से 07 है के संयुक्त कब्जे काश्त की कृषी भूमी मौझा राठौडो का गुडा पटवार क्षेत्र चिबोडा तहसील सलूम्बर जिला उदयपुर के संवत 2075 से 2078 की जमाबन्दी मे खाता संख्या नया 125 पुराना 125 आराजी नम्बर 1189ध्65, 36, 64, 65 कुल किता 4 कुल रकबा 1.2200 हैक्टेयर लगानी 1.36रू. स्थित है जिसके प्रार्थीया का 2/3 हिस्सा होकर अन्य सह–खातेदार का बराबर–बराबर 1/12–1/12 हिस्सा राजस्व रेकार्ड दर्ज है तथा विपक्षी सख्या 01 से 03 का उक्त कृषी भूमी से कोई सम्बन्ध नहीं है।

यह कि उक्त कृषी भूमी के आराजी संख्या 1189/65, 36, 64, 65 के अन्दर सें वर्ष 2007 में राजस्थान सरकार की ओर से सार्वजनिक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यु.डी.) तथा विभाग के ठेकेदार मिलकर अवैध रूप से सडक निर्माण करना चाह रहे थे तथा उन्होने निर्माण कार्य जोर जबरदस्ती शुरू कर दिया था जिस पर पूर्व खातेदार ने एक दावा स्थाई निषेधाज्ञा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमे अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र नं. 76/2007 मु.दी. दिनांक 18–03–2008 को सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं खातेदार के विरूद्ध निर्णित हुआ तथा

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

सार्वजनिक निर्माण विभाग व ठेकेदार को खातेदार की भूमी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने का व न ही निर्माण करने का आदेश दिया गया जिस पर उनके द्वारा कार्य को रोक दिया गया तथा ठेकेदार द्वारा उक्त भूमी में से जो सडक बनाने के लिये मशीन से अस्थाई रास्ता बना दिया जिस कारण प्रार्थीया की भूमी 2 दो भागों में विभक्त हो गई, जो अवैध सडक बनी उसके दुसरी तरफ प्रार्थीया की जो भूमी शेष रही उसके पश्चात् विपक्षी संख्या 01 से 03 की कृषी भूमी स्थित है, जिस कारण प्रार्थीया की शेष भूमी पर अवैध तरीके से जोर, जबरदस्ती कर विपक्षी संख्या 01 से 03 ने निर्माण करना चाहते है तथा उक्त भूमी को हडपकर प्रार्थीया तथा सह–खातेदार जो मुल प्रार्थी मे विपक्षी संख्या 04 से 07 है को बेदखल करना चाहते है। इस कारण यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र लाना पड रहा है।

विपक्षीगण संख्या 01 से 03 सभी मिलकर प्रार्थीया एवं सह–खातेदार जो मुल वाद में विपक्षी संख्या 04 से 07 है के हिस्से की कृषी भूमी को जबरन हडपने की नियत से प्रार्थीया एवं सह–खातेदार जो मुल वाद विपक्षी संख्या 04 से 07 है को बेदखल कर अवैध रूप से निर्माण कार्य करना चाहते है इस हेतु उन्होंने प्रार्थीया एवं सह–खातेदार के हिस्से की कृषी भूमी के पास पत्थर, रेत, ईटे इत्यादी निर्माण सामग्री इकट्ठी कर ली है तथा दिनांक 28–08–2021 को प्रार्थीया एवं सह–खातेदार की कृषी भूमी ने नींव खोदना शुरू कर दिया है जिस पर प्रार्थीया एवं सह–खातेदार ने विपक्षीगण संख्या 01 से 03 को रोका तो वे फौत गालीया देने लगे। प्रार्थीया कृषी भूमी के अपने हिस्से की स्वागी होकर कब्जेदार है, राजस्व रेकार्ड में भी प्रार्थीया व सह–खातेदार के खाते भूमी है जिससे प्रार्थीया का मामला प्रथम दृष्टया है तथा सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है तथा विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीया व सह–खातेदार की भूमी पर किसी भी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण कर दिया या कृषी भूमी को खराब कर दिया तो प्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति होगी जिसका रूपयो पैसा मे मुल्यांकन किया जाना असंभव है इसलिये विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीया के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावे कि वे प्रार्थनापत्र की कलम संख्या दो मे वर्णित कृषी भूमी मौझा राठौडो का गुडा के खाता संख्या नया 125 पुराना 125 आराजी नम्बर 1189/65, 36, 64, 65 कुल किता 4 कुल रकबा 1.2200 हेक्टर लगानी 1.36रू. स्थित में किसी भी प्रकार की दस्तनदाजी नहीं करे न ही अवैद्य प्रकार से निर्माण कार्य करे ओर न ही प्रार्थीया व सह–खातेदार को बेदखल करें एवं न ही उक्त कृत्य अपने परिजनो, नोकरों, मजदुरो इत्यादी से करावे एवं यदि दौराने वाद विपक्षीगण उक्त कृषी भूमी पर किसी प्रकार का कच्चा अथवा पक्का निर्माण कार्य कर देवे तो उसे विपक्षीगण के खर्च से तुड़वाने का आदेश प्रदान करावे एवं अन्य उचित एवं आवश्यक दाद जो प्रार्थीया को दिलाई जा सके वह दिलवाई जावे।

प्रार्थना पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन सूचित किया गया। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गेबीलाल मेहता ने वकालतनामा पेश किया तथा जवाब प्रार्थनापत्र एवं प्रारम्भिक आपत्तियों के साथ अंकित किया कि– प्रार्थनापत्र में प्रार्थीया ने जो आराजी न. 1189/65 अंकित किया है जिसकी खातेदार प्रार्थीया है ओर जो रेकार्ड में अंकित आराजी नम्बर 887, 888, 889, 890 के पश्चिम दिशा में स्थित रोड के पश्चिम में स्थित है तथा मौके पर भी विपक्षीगण जो रोड स्थित उसके पूर्व विगत 100 वर्षों से मे काबिज होकर मौके पर भूमी का उपयोग, उपभोग करते आ रह है। प्रार्थीया की भूमी तथा विपक्षीगण की भूमी के मध्य करीब 20 फीट डामर रोड है, जो खेराड मुख्य मार्ग से राठौडों का गुडा गाँव में उत्तर से दक्षिण जाता है, तथा रेकार्ड में भी रास्ते के पूर्व दिशा में विपक्षीगण के खाते की भूमी है तथा पश्चिम दिशा में प्रार्थीया की भूमी है। प्रार्थीया की भूमी व प्रार्थीया की भूमी के पूर्व में स्थित रास्ते की तरफ प्रार्थीया का करीब 30–40 वर्ष पुराना पत्थरो का कोट बना हुआ है तथा बड़े–बडे पेड भी है एवं मौके

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

पर स्थित रोड के पश्चिम दिशा में विपक्षीगण का वर्षों पूर्व का कोट बना होकर विपक्षीगण के मकानों में जाने का रास्ता है ओर मौके पर अलग–अलग भाग हो रखे है जिसमे एक भाग पर विपक्षी संख्या 3 काबिज है एक भाग पर विपक्षी संख्या 2 काबिज है तथा एक भाग पर विपक्षी संख्या 1 काबिज है। विपक्षी सख्या 1 के कब्जे की भूमी के पश्चिम दिशा में अन्य लोगो के घरों में जाने का रास्ता है। मौके पर प्रार्थीया व विपक्षीगण अलग–अलग भूमी पर करीब 100 वर्षों से काबिज है और दोनो के मध्य रेकार्ड में तथा मौके पर डामर रोड बनी हुई है, इसलिये प्रार्थीया ने विपक्षीगण के निर्माण पर रोक का यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जो आधारहिन, कब्जाहीन होने से प्रार्थनापत्र प्रारम्भिक स्टेज पर ही खारिज योग्य है।

आराजी नम्बर 1189/65, 36, 34, 65 रेकार्ड में प्रार्थीया के या किसके खाते है, जिसकी जानकारी विपक्षीगण को नहीं है. किन्तु आराजी नम्बर 1189/65 के पूर्व दिशा में स्थित रास्ते के पूर्व मे विपक्षीगण का कब्जा, स्वामित्व होकर मौके पर करीब 40–50 वर्षों पूर्व का कोट बना हुआ है, तथा रास्ते ओर आराजी नं. 1189/65 के बिच में करीब 30–40 वर्ष पूर्व का प्रार्थीया का पत्थरो का कोट बना हुआ है ओर बड़े–बड़े पेड है। मौक पर खेराड गाँव से राठौडों के गुडा में जाने वाला मुख्य रोड जो मौके पर डामरीकृत होकर पुरे गाँव के आने–जाने के उपयोग में आ रहा है। रोड के पूर्व में विपक्षीगण की भूमी है तथा रोड के पश्चिम में प्रार्थीया की भूमी है। विपक्षीगण प्रार्थीया की किसी भूमी पर कोई जबरन कब्जा नहीं कर रहे है, विपक्षीगण व प्रार्थीया की भूमी मौके पर दोनो की पृथक–पृथक होकर दोनो के कब्जे की भूमी के बिच में करीब 25–30 फीट चौडा आम रास्ता है जो भी वर्षों पूर्व का है। मौके पर सडक के पूर्व में प्रार्थीया की कोई भूमी नहीं है सड़क के पूर्व में विपक्षीगणं के कब्जे, काश्त की पूर्वज काल से चली आ रही है। प्रार्थीया व उसके पूर्वज मुल राठौडो का गुडा गाँव के निवासी नहीं है। वे अन्य गाँव के निवासी है, उनके पूर्वजो ने वादग्रस्त भूमी आवंटन अधिकारी से आवंटित कराई है ओर आवंटन समय से आज तक प्रार्थीया, सह–खातेदार व उनके पूर्वज आज तक जिस भूमी पर काबिज है वह भूमी उनके कब्जे में होकर उनकी मौके पर कच्ची–पक्की पत्थरो की बाउण्ड्री होकर एकचक भूमी है, प्रार्थीया की भूमी के पूर्व व उत्तर दिशा में गाँव में जाने का आम रोड है इस आम रोड के उत्तर व पूर्व में विपक्षीगण के कब्जे, स्वामित्व, व आधिपत्य की भूमी है। प्रार्थीया विपक्षीगण के विरूद्ध किसी तरह की कोई आदेशात्मक व्यादेश या अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है, प्रार्थीया के कब्जे की एक ईंच भूमी पर विपक्षीगण कोई कारतामीर या निर्माण नहीं कर रहे है, रेकार्ड में दर्शित रास्ते के पूर्व दिशा में विपक्षीगण के कब्जे, स्वामित्व व खाते की भूमी है ओर मौके पर भी विपक्षीगण रास्ते के पूर्व दिशा में अपने कब्जे की भूमी पर अपने उपयोग हेतु निर्माण कर रहे है, जिसे रोकने का प्रार्थीया या किसी पक्ष को कोई हक, अधिकार नही है।

मौके पर तथा रेकार्ड के मुताबिक दर्शित रास्ते के पूर्व मे तथा उत्तर में विपक्षीगण का कब्जा होकर उनकी कच्ची तथा पक्की पत्थरो की बाउण्ड्री बनी हुई है, उस भूमी पर ही विपक्षीगण अपनी आवश्यकता के लिये निर्माण कर रहे है। विपक्षीगण व प्रार्थीया के जमीन के मध्य करीब 25–30 फीट चौडा आम रास्ता है जो खेराड से राठौडा के गुडा गाँव मे जाता है। मौके पर तथा राजस्व रेकार्ड दोनो मे रास्ता अंकित है तथा रास्ते के दोनो तरफ प्रार्थीया व विपक्षीगण के करीब 100 वर्षों पूर्व की कब्जे की पृथक–पृथक भूमी है। इसलिये प्रार्थीया का कोई प्रथम दृष्टया न दावा है न उसका प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने पर उसे कोई असुविधा या क्षति नही होगी तथा मौके पर प्रार्थीगण काबिज है जिसमे प्रार्थीया किसी तरह का कोई हक, अधिकार नहीं है। इसलिये प्रार्थीया के मुकाबले विपक्षीगण का एक मजबुत प्रथम दृष्टया दावा है तथा प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर दिया जाता है तो प्रार्थीया के मुकाबले विपक्षीगण को काफी असुविधा होगी और वे अपने कब्जे की भूमी का उपयोग नहीं कर पायेंगे जिससे उन्हें काफी मानसिक व आर्थिक

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

क्षति होगी इसलिये अपूर्णिय क्षति का बिन्दु व असुविधा सन्तुलन का बिन्दु एवं प्रथम दृष्टया का बिन्दु भी विपक्षीगण के पक्ष में है। अतः एव जवाब में प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र आधारहिन व बिना कब्जे के अधिकार के एवं अवधी परे होने से सव्यय खारिज फरमाया जावे ।

पत्रावली पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीया ने बहस मे अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया एवं निवेदन किया कि मूलवाद धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का है। तहसीलदार का जवाब भी है जिसमे हमारी आराजी टुकडे मे विभक्त हो जाने का वर्णन है। तत्समय सार्वजनिक निर्माण विभाग ने रास्ता बनाना चाहा था तब हमने स्टे लिया था तो उन्होने रास्ता बनाना बन्द कर दिया था। अभी पगडण्डी रास्ता मौके पर सज्जनसिंह वगै. ने बना दिया है तथा हमारी जमीन के दो टुकडे करने पर आमादा है।

अधिवक्ता विपक्षीगण ने बहस मे अपने जवाब मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने भूमि को आवंटित करवाई है। रास्ता डॉटेड रूप मे नक्शे मे दर्ज है। गांव का मुख्य रास्ता है मौके सडक है फोटोग्राफ संलग्न है। सडक के लेफ्ट मे प्रतिवादी का कोट(बॉउण्डरी) बना है तथा राईट साईड मे प्रार्थी की भूमि है। यह स्वीकार है कि ये खातेदार काश्तकार है लेकिन इनका कब्जा नही है, इसलिए कब्जा ही नही है तो फिर स्टे किस बात का।

बहस मनन की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं राजस्व रेकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजस्व जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 मौजा राठौडो का गुडा पटवार हल्का चिबोडा आराजी नम्बर 1189/65, 36, 64, 65 कुल किता 4 रकबा 1.22 हैक्टेयर भूमि मे प्रार्थी सह–खातेदार होकर नाम दर्ज अंकित है। नक्शे मे आराजी नम्बर 1188/419 डोटेड रास्ता है तद्पश्चता हाल नक्शे मे पुख्ता लाईन से रास्ता दर्ज अंकित है। तहसीलदार सलूम्बर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आराजी नम्बर 36, 64, 65 में प्रार्थी का कब्जा है। आराजी नम्बर 1189/65 रकबा 7 मीटर चौडा व 96 मीटर लम्बा उक्त आराजी मे से मौके पर रास्ता बना हुआ है। जो लगभग 0.06 हैक्टेयर है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दि. का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय दिनांक 31/12/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

(पर्वत सिंह चण्डावत, RAS)
सहायक कलेक्टर, सलूम्बर
जिला सलूम्बर